220

1 17.11.2004
2 17.6.2010
3 24.4.2014

[illegible] उत्पादक शास्त्र

प्रारंभ

कायालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : फा.15(30)(1)सविरा/नियम/35755/2005 दिनांक: 17-11-2005

संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक,
सहकारी समितियां,
....

विषय : हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समितियों के उपनियमों में संशोधन ।

विषयान्तर्गत राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 एवं राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के लागू हो जाने के पश्चात अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समितियों के वर्तमान प्रावधानों में वांछित संशोधन किया जाना विधिक दृष्टि से अपरिहार्य हो गया है । इस क्रम में राज्य की उक्त संस्थाओं के उपनियमों की संशोधित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर बताई जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अन्तर्गत संलग्न उपनियम संशोधन संस्था को प्रस्तावित करते हुए संशोधन की आवश्यक कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

(राजेश्वर सिंह)
रजिस्ट्रार,

प्रतिलिपि :
1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ।
3. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय ।
4. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ लि0, जयपुर ।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला सहकारी बुनकर संघ लि0 .... ।
6. रक्षित पत्रावली ।

उप पंजीयक (नियम)

हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड
के
उपनियम
(प्रस्तावित)

नाम

1 इस संस्था का नाम ..... हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड होगा।

पता

2 इसका रजिस्ट्री किया हुआ पता स्थान ..... डाकघर ..... तहसील ..... जिला ..... होगा ।

कार्यक्षेत्र

3 इसका कार्यक्षेत्र ..... समिति होगा।

उद्देश्य

4 इसके निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :–

1. निश्चित क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले कच्चे माल से हाथकर्घा वस्त्र उत्पादन बढ़ाना, तत्सम्बन्धी अन्य कार्यों को प्रोत्साहन देना व उन्हें अपनाना।
2. सामूहिक ढंग पर उत्पादन–वृद्धि को सहायता देना और बनाने की विधि में उन्नति करना।
3. कच्चा माल प्राप्त करना, ठेके पर लेना एवं संग्रह के केन्द्र स्थापित करना।
4. निश्चित क्षेत्र में उत्पन्न कच्चे माल से हाथकर्घा वस्त्र बनाने के यन्त्र व सामग्री खरीदना, उन्नत प्रकार के यन्त्र तैयार करना व सदस्यों को देना।
5. निश्चित क्षेत्र में उत्पन्न कच्चे माल से हाथकर्घा वस्त्र बनाने के सम्बन्ध में शिक्षण सम्बन्धी व्यवस्था करना।
6. प्रस्तुत हाथ कर्घा वस्त्र का क्रय व बिक्री का उचित प्रबन्ध करना व एजेन्सी स्थापित करना।
7. समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के हेतु धन एकत्रित करना एवं समिति के कार्य के लिए भूमि, गोदाम इत्यादि का प्रबन्ध करना।
8. सदस्यों की दैनिक आवश्यकता की सामग्री को खरीदना और उसकी बिक्री करना।
9. सदस्यों में पारस्परिक सहायता, स्वावलम्बन तथा पारस्परिक मेल जोल को प्रोत्साहन देना।
10. सदस्यों को सहकारी सिद्धान्तों का प्रसार करना और यथा सम्भव उन्हें कार्यान्वित करना।
11. और ऐसे समस्त कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों तथा सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक दशा का समुन्नत करें।
12. बनकर सम्बन्धित वस्तुओं का क्रय विक्रय करना।
13. प्रदर्शनी आदि में दुकान लगाकर समिति की बिक्री बढ़ाना।
14. खुदरा बाई लगाम, विकास समिति, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक आदि से ऋण व सहायता लेना।

5. प्रत्येक व्यक्ति जिसका चाल चलन अच्छा हो, आयु 18 साल से अधिक हो ... जो बुनकर का काम करता हो, उक्त कच्चे माल से हाथ करघा वस्त्र बनाता हो या तत्सम्बन्धी कार्य करता हो और समिति के कार्यक्षेत्र में रहता है, समिति का सदस्य हो सकेगा। कृत सदस्यों के अवयस्क उत्तराधिकारी सदस्य चुने जा सकेंगे किन्तु उनको ऋण नहीं दिया जायगा।

6. समिति के रजिस्ट्री के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति प्रारम्भिक सदस्य होंगे इसके बाद वे सदस्य बन सकेंगे जो उप नियम 5 के अनुसार सदस्यता के योग्य समझे जायेंगे।

7. सदस्यों का प्रवेश राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 एवं राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम 14 में वर्णित प्रक्रियानुसार दिया जा सकेगा।

8. प्रत्येक व्यक्ति को सदस्य बनने के पहले एक ऐसे प्रतिज्ञा–पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह संस्था के चालू नियमों उपनियमों को तथा उन संशोधनों, परिवर्तनों तथा परिवर्द्धनों का जो उसकी सदस्यता के समय में इनमें वैधानिक ढंग से किये जावेंगे, पालन करेगा। उन व्यक्तियों को जो कि समिति की रजिस्ट्री होने के एक मास के भीतर ऐसे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर देने होंगे। हस्ताक्षर नहीं करने की अवस्था में ऐसे व्यक्ति समिति की सदस्यता से पृथक कर दिये जायेंगे।

9. प्रत्येक व्यक्ति को सदस्य बनते समय 10/– रूपये प्रवेश शुल्क जमा कराना होगा।

10. किसी व्यक्ति को उस समय तक सदस्यता के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जब तक कि उसने सदस्य रजिस्टर पर हस्ताक्षर न कर दिये हों, प्रवेश शुल्क जमा न करा दिया हो और कम हिस्से की पहली रकम जमा न करा दी हो।

11. प्रत्येक सदस्य अपने ऐसे उत्तराधिकार का नाम समिति को लिखत में देगा जिसे कि सदस्य की मृत्यु के पश्चात हिस्से, तत्सम्बन्धी धन या अन्य कोई धन जो उसके नाम से जमा हो, दिया जा सके अथवा उसके नाम किया जा सके।

सदस्य की मृत्यु पर हित का अन्तरण

12. (1) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर समिति, मृत सदस्य का शेयर या हित नियमों के अनुसार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों को या यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को, जो समिति को मृत सदस्य का वारिस या विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो, अन्तरित करेगी और जहां दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य उत्तराधिकार का कोई विवाद हो, समिति ऐसे दावेदारों से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी :

परन्तु ऐसे नामनिर्देशिती, वारिस या, यथास्थिति, विधिक प्रतिनिधि को सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित कर लिया जाता है:

परन्तु यह और कि इस उपनियम में की कोई बात किसी अवयस्क या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को मृत सदस्य के शेयर या हित विरासत द्वारा या अन्यथा अर्जित करने से नहीं रोकेगी।

(2) उपनियम 12 (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई भी नामनिर्देशिती, वारिस या यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि मृत सदस्य के शेयर या हित के नियमों के अनुसार अभिनिश्चित मूल्य का संदाय स्वयं को किये जाने की समिति से अपेक्षा कर सकेगा।

जहां ऐसा नामनिर्देशिती वारिस या, यथास्थिति, विधिक प्रतिनिधि उपनियम 12 (1) के अधीन सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है वहां समिति मृत सदस्य को सोसाइटी द्वारा देय अन्य समस्त धन उसे संदत्त करेगी।

(4) इस उपनियम के उपबन्धों के अनुसार किये गये समस्त अन्तरण और संदाय, किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा सोसाइटी से की गई किसी मांग के विरुद्ध विधिमान्य और प्रभावी होंगे।

13 किसी भी सदस्य की सदस्यता, निम्नलिखित किसी एक कारण के होने पर समाप्त कर दी जावेगी –

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. 1 महीने का नोटिस देकर सदस्यता से त्याग–पत्र देने पर, यदि वह समिति का ऋणी न हो, किन्तु उसके हिस्से की पूंजी, सदस्यता समाप्त होने के दो वर्ष पश्चात लौटाई जावेगी।
3. सदा के लिए समिति के कार्यक्षेत्र में रहना छोड़ देने पर।
4. समिति के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित रूप से उत्पादन करना व तत्सम्बन्धी दूसरे कार्य करना छोड़ने पर।
5. पागल हो जाने पर।
6. कार्य समिति द्वारा निकाल दिये जाने पर।

14 कोई भी सदस्य कार्य समिति के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से नीचे लिखे किसी भी एक कारण पर समिति की सदस्यता से पृथक किया जा सकता है किन्तु सदस्य को साधारण सभा में अपील करने का अधिकार होगा–

1. यदि उसने सदस्यता के प्रतिबन्धों का पालन न किया हो–
2. यदि वह हिस्सों की खन्दी समय पर न देता हो।
3. यदि वह दिवालिया हो गया हो।
4. यदि उसने किसी अनैतिकता के सम्बन्ध में 3 मास का कारावास पाया हो।
5. यदि वह समिति के साथ सच्चाई व ईमानदारी का व्यवहार न करे या जानबूझकर उसे हानि पहुंचाने की चेष्टा करे।
6. यदि वह लगातार दो साल तक बिना उचित कारण समिति का ऋण न चुकावे।

उत्तरदायित्व

15. प्रत्येक सदस्य का दायित्व समिति के ऋण को चुकाने के लिए उसके क्रय हिस्सा या हिस्सों के पांच गुने मूल्य तक सीमित होगा।

16 समिति की पूंजी निम्न प्रकार से संग्रहीत की जावेगी–

1. प्रवेश शुल्क
2. हिस्से में
3. धरोहर
4. ऋण
5. आर्थिक सहायता
6. सुरक्षित कोष व अन्य
7. अर्थ दण्ड
8. अवितरित लाभ

हिस्से

17 प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक हिस्सा खरीदना होगा जिसका मूल्य 100/– रूपये होगा। सदस्य को अधिकार होगा कि अपने क्रय किये हिस्सों का समस्त रूपया एक साथ [illegible]

18 कोई सदस्य [illegible] हिस्सों के [illegible] भाग या 3000/– रूपये के मूल्य के हिस्से, जो भी [illegible] क्रय कर सकता।

19 कोई भी सदस्य अपना हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को बेच नहीं सकता है, त्याग पत्र देने एवं पृथक होने की अवस्था में भी अन्यथा नहीं कर सकेगा जब तक कि वह—

1. कम से कम एक साल तक इसका अधिकारी न हो हो।
2. हिस्से का खरीददार समिति का सदस्य नहीं हो और उस व्यक्ति का प्रार्थना–पत्र व इस कार्यवाही को स्वीकृत न प्रबन्धकारिणी समिति ने स्वीकृत नहीं कर लिया हो। कर ले।

20 कोई सदस्य, जो समिति की सदस्यता से त्याग–पत्र देता है या पृथक किया जाता है समिति से पृथक होने की तारीख के एक वर्ष के अन्दर अपने हिस्सों का रुपया मय ब्याज के पाने का अधिकारी होगा। किसी सदस्य के मर जाने पर उसका प्रतिनिधि अथवा उत्तराधिकारी यदि सदस्य नहीं चुना जावे तो उसके हिस्सों का धन राजकीय कानून तथा नियम व उपनियमानुसार लौटा दिया जावेगा।

ऋण की सीमा

21 प्रबन्धकारिणी समिति वार्षिक साधारण सभा द्वारा नियम की हुई सीमा तक, जिसकी रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग ने स्वीकृति दे दी हो, समिति का कारोबार चलाने के लिए ऋण ले सकेगी।

पूंजी का उपयोग

22 समिति की पूंजी उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने में लगाई जावेगी। यदि पूंजी का कोई भाग बच रहता है तो उसके राजकीय कानून तथा नियमों द्वारा निर्धारित ढंग से जमा कराना होगा।

साधारण सभा

23 साधारण सभा को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है।

24 साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार होगी व निम्नलिखित प्रकार से आवश्यकतानुसार बुलाई जा सकेगी। वर्ष में एक बार वार्षिक हिसाब बन्द होने के तीन माह के अन्दर जो बैठक अवश्य बुलाई जावेगी, वह सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलावेगा।

25 साधारण सभा का अधिवेशन निम्न प्रकार बुलाया जा सकता है —

1. कार्यकारिणी समिति के बुलाने पर,
2. कुल सदस्यों के 1/5 की लिखित प्रार्थना पर,
3. रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग या अधिकृत उद्योग अधिकारी की आज्ञा से अथवा किसी पदाधिकारी के बुलाने पर जिसे वे नियुक्त करें।

26 साधारणतया हर एक साधारण सभा की सूचना सदस्यों को कम से कम [illegible] दिन पूर्व दी जावेगी तथा विचारणीय विषय आदि का उल्लेख होगा। [illegible] सूचना के साथ समिति की वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य [illegible] परीक्षक द्वारा प्रमाणित आंकड़े [illegible] जा सकते हैं। किसी सदस्य को इस प्रकार की सूचना न मिलने के कारण सभा की कार्यवाही अनियमित नहीं समझी जावेगी।

27 [illegible] अपना लिखित प्रस्ताव निश्चित [illegible] सभापति का अधिकार होगा कि [illegible] किसी समय भी ऐसा प्रस्ताव स्वीकार कर सकते [illegible] नियुक्त करने या किसी विषय को कार्यकारिणी को [illegible] द्वारा आवश्यक कार्य को उपस्थित करने के लिए [illegible] नहीं होगी।

28. कुल सदस्य संख्या का [illegible] सदस्य इनमें मजा भी [illegible] हो [illegible] का कोरम समझा [illegible] के पूरा न होने की दशा में सभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। स्थगित सभा का कोरम उपर्युक्त सख्या का आधा होगा।

29. 1. यदि निश्चित समय के दो घंटे के बाद सभा का कोरम पूरा न हो सका तो सदस्यो द्वारा उपनियम 25.2 के अनुसार बुलाई गई सभा भग समझी जावेगी।

2. अन्य अवस्थाओं में दूसरी सभा शीघ्रतिशीघ्र बुलाई जावेगी जिसके लिए उपनियम 26 में दी हुई सूचना सम्बन्धी अवधि लागू न होगी।

3. सभापति सभा की राय से किसी भी सभा को स्थगित कर सकते हैं किन्तु स्थगित सभा में केवल उन्हीं विषयो पर विचार होगा जो पिछली सभा में शेष रह गए हों।

30. समस्त सभाओं में अध्यक्ष सभापति का कार्य करेंगें। उनकी अनुपस्थिति में वह सदस्य सभापति का आसन ग्रहण करेगा जो उस सभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से चुना जायगा।

31. प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। किसी भी सदस्य के परोक्ष में अन्य व्यक्ति मत नहीं दे सकेगा। कोई भी सदस्य अपने वैयक्तिक विषय पर मत देने का अधिकारी नहीं होगा।

32. समस्त विषयों का निर्णय बहुमत से होगा। बराबर मत होने की अवस्था में सभापति को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

33. प्रत्येक सभा का कार्य विवरण एक रजिस्टर में लिखा जाएगा, जिस पर सभापति व अवैतनिक मन्त्री के उसके सही होने के प्रमाण में हस्ताक्षर होंगे।

वार्षिक अधिवेशन

34. वार्षिक अधिवेशन में नीचे लिखे कार्य होंगे ।

1. आगामी वार्षिक अधिवेशन तक के लिए सभापति, अवैतनिक मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष और प्रबन्धकारिणी समिति के अन्य सदस्यों का चुनाव।
2. गत वर्ष का कार्य–विवरण एव आय व्यय, परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार।
3. राजकीय कानून, नियम तथा समिति के उपनियमानुकूल लाभ–वितरण
4. समिति के कारोबार के लिए कार्य–समिति द्वारा लिये जाने वाले ऋण की सीमा निर्धारित करना, जिसकी स्वीकृति रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग से प्राप्त करनी होगी।
5. सहकारी व उद्योग विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण पत्र तथा तत्सम्बन्धी विषयों पर कार्य–समिति द्वारा प्रगट किए गए मत पर विचार।
6. कार्य समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये अन्य विषयों पर विचार।
7. अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त अन्य विषयों पर विचार।

संचालक मण्डल का गठन

35. 1. संचालक मण्डल में 11 निर्वाचित सदस्य होंगे।
2. एक–एक मनोनीत प्रतिनिधि रजिस्ट्रार एव उद्योग विभाग का होगा ।
3. निर्वाचित संचालक मण्डल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा ।

प्रबन्धकारिणी समिति

36. कोई हिस्सेदार प्रबन्धकारिणी समिति का सदस्य चुने जाने योग्य नहीं समझा जावेगा, यदि–

1. उसकी अवस्था 21 वर्ष से कम हो,
2. दिवालिया होने का प्रार्थी हो या दिवालिया घोषित कर दिया गया हो।
3. [illegible] हो,
4. समिति से [illegible] कार्य करता हो।
5. देन [illegible] कारण समिति का दोषी हो।

37 वह सदस्य प्रबन्धकारणी समिति से अलग समझा जावेगा, यदि--

1. समिति का हिस्सेदार नहीं रहता है अथवा बिना किसी उचित कारण उसका दोषी हो।
2. दिवालिया बनने के प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना की हो या दिवालिया प्रमाणित हो चुका हो।
3. गूंगा, पागल या कोढ़ी हो गया हो।
4. समिति के विरूद्ध काम किया हो जिससे समिति को हानि पहुँची हो या हानि पहुँचने की आशंका हो।
5. समिति के प्रधान स्वयं या उसका निकट सम्बन्धी वैतनिक काम करने लग गया हो।

नोट– निकट सम्बन्धी के विषय में मतभेद होने पर रजिस्ट्रार, सहकारीविभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

6. बिना किसी कारण से कार्य समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा हो जो प्रबन्धकारिणी समिति को मान्य हो।
7. यदि उसने प्रबन्धकारिणी समिति से अवकाश प्राप्त करने का प्रार्थना– पत्र दे दिया हो और वह स्वीकृत हो चुका हो।

38 समिति का कार्य चलाने के लिए आवश्यकतानुसार बैठक हुआ करेगा और निश्चित तारीख पर महीने में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जावेगी। अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य सभापति का काम करेंगे। प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। सब मामले बहुमत से तय किये जायेंगे बराबर मत आने की अवस्था में सभापति निर्णयात्मक मत देंगे। किसी भी सदस्य को व्यक्तिगत मामले में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

39 कार्य–समिति की सभा का कोरम आधे से अधिक सदस्यों का होगा। कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित की हुई सभा का कोरम पांच सदस्यों का होगा।

40 साधारणतया प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक के लिए 24 घंटे पूर्व सूचना दी जावेगी किन्तु व्यापार कार्यवश इससे कम समय की सूचना भी वैध समझी जायेगी, यदि कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को सूचना भेज दी गई हो।

41 प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक का कार्य विवरण रजिस्टर में लिखा जायेगा, जिस पर उसके सही होने के प्रमाण–स्वरूप अवैतनिक मंत्री, सभापति एवं अन्यउपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे।

42 कार्यकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य निम्नलिखित होंगे–

1. समिति के लिए मैनेजर आदि वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना, अलग करना तथा अन्य किसी प्रकार का दण्ड देना तथा उसका त्याग पत्र स्वीकार करना, अवकाश स्वीकार करना।
2. कर्मचारियों से जमानत लेना अथवा इससे मुक्त करना।
3. सदस्यों के लिए हिस्सों की खरीद नियम करना तथा हिस्सों का परिवर्तन करना। नये सदस्य की भर्ती करना, त्याग–पत्र स्वीकार करना व उपनियमों के अनुसार अलग करना।
4. वार्षिक अधिवेशन से निश्चित की हुई सीमा में ऋण तथा धरोहर (अमानत) लेना।
5. अमानत पर दिए जाने वाले ब्याज की दर नियम करना।
6. प्रमाण–पत्र, सामान, नकद रूपया तथा पूंजी को सुरक्षित रखे जाने के लिए अवस्था करना।

8. सामान व कार्य सचालन की सुविधा के लिए मकान [illegible]
बनवाना।
9. सदस्यों के बनाये गये हाथकर्घा वस्त्रों को उचित मूल्य पर बेचने का प्रबन्ध करना।
10. सदस्यों व नौकरों की मजदूरी का दर नियत करना।
11. भाव-पत्र(टेण्डर) लेना, ठेका लेना एवं अन्य ऐसे सम्बन्धित कार्य करना जो कि समिति के नित्य प्रति के कार्य के लिए उचित समझे जावें।
12. सदस्यों की दैनिक आवश्यकता की सामग्री का क्रय-विक्रय करना।
13. सदस्यों के द्वारा सम्मिलित रूप से उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन देना और उसको बेचने का प्रबन्ध करना और उत्पादन बढ़ाने के उपकरण क्रय करना।
14. समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने केलिए नियम बनाना।
15. हिसाब रखने का प्रबन्ध करना और उसकी परीक्षा करना।
16. साधारण सभा बुलाना।
17. वार्षिक अधिवेशन बुलाना और उसके समक्ष गत वर्ष का कार्य विवरण एवं उपनियमानुसार लाभ-वितरण करने का विवरण प्रस्तुत करना और समिति के वार्षिक कारोबार का चिट्ठा प्रस्तुत करना।
18. समिति के सदस्य मन्त्री अथवा मैनेजर व अन्य कार्यकर्ता द्वारा आवश्यकता होने पर मुकदमा दायर करना, पैरवी करना, जवाबदेही करना, राजीनामा करना, फैसला करना तथा उन मामलों में जो कि समिति के सदस्य या किसी पदाधिकारी की तरफ से समिति के विरूद्ध कारोबार के बारे में हो, पंचायती कार्यवाही करना।
19. सदस्यों का प्रतिवेदन सुनना और उस पर निर्णय देना।
20. समिति के आय-व्यय की परीक्षा करना तथा उसकी फीस चुकाना।
21. आय-व्यय परीक्षक-पत्र एव निरीक्षण पत्रों पर विचार करना और साधारण सभा के समक्ष उस पर [illegible] प्रकट करना।
22. अवैतनिक [illegible] मैनेजर द्वारा किए व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।
23. असाधारण [illegible] अध्यक्ष, अवैतनिक मन्त्री तथा मैनेजर को अपने समस्त या आंशिक [illegible] सौपना। समिति से सम्बन्धित वाद प्रतिवाद मुकदमों के हेतु [illegible] दायर करना और मन्त्री, मैनेजर या किसी अन्य सदस्य की [illegible] समस्त ऐसे अधिकार जो कि वाद विवाद प्रतिवाद से [illegible]
24. [illegible] रखना कि समिति का कार्य सुचारू रूप से समिति के [illegible] के नियमानुकूल चल रहा है।
25. [illegible] दूसरे से मागती है उसकी वसूली करना और जो धन दूसरे [illegible] उसका निपटारा करना।
26. [illegible] केन्द्रीय मार्केटिंग फेडरेशन एवं डिस्ट्रिक्ट और प्रोविन्शियल [illegible] क्रय करना तथा उनकी सभाओं में भाग लेने के लिए [illegible]
27. [illegible] वाली पूँजी की अधिकाधिक सीमा निर्धारित करना।
28. [illegible] आय-व्यय चिट्ठा (बजट) बनाना और उसे वार्षिक साधारण सभा [illegible] के लिए प्रस्तुत करना।
29. [illegible] पोस्ट आफिस अथवा ऐसे बैंक में खोलना जो रजिस्ट्रार, [illegible] द्वारा मान्य हो।

[illegible] कर्तव्य निम्नलिखित होंगे-
[illegible] सभा व कार्य-समिति की सभायें बुलाना और उनमें उपस्थिति [illegible]

2. सभाओं का कार्य-विवरण लिखना और उनके प्रमाणार्थ सभापति के साथ उनपर हस्ताक्षर करना।
3. अध्यक्ष के साथ प्रतिज्ञा–पत्र और ऋण–पत्र इत्यादि पर हस्ताक्षर करना जो समिति की ओर से कार्य समिति को लिखना पड़े।
4. समिति की ओर से पत्र व्यवहार करना व प्रमाण स्वरूप सब रजिस्टरों व रोकड़ आदि पर हस्ताक्षर करना।
5. कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित की हुई सीमा तक व्यय करना।
6. रसीद, लेख्य दस्तावेज इत्यादि तैयार करना तथा उ पर हस्ताक्षर करना।
7. समिति का आय–व्यय लेखा बनाना व समस्त रजिस्टरों को पूर्ण रखना।
8. प्रतिवर्ष 30 जून तक के आय--व्यय, हानि–लाभ आदि के आंकड़े तैयार करना और उनके आधार पर समिति का वार्षिक कार्य विवरण लिखना।
9. ऋण के लिए और सदस्यों के द्वारा बनाये हुए माल की जमानत पर रूपये देने के लिए व्यवस्था करना।
10. सहकारी नियमो के अनुसार समिति के रजिस्टरों में अंकित लेखें एवं आंकडे की प्रतिलिपि पर प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करना।

कोषाध्यक्ष

44. समस्त रूपया जो समिति मे आवे, कोषाध्यक्ष के पास रहेगा जो उसे कार्य समिति की आज्ञा के अनुसार व्यय करेगा। रोकड़–बही के सही होने के प्रमाण में उसे हस्ताक्षर करने होंगे। कार्यकारिणी समिति रजिस्ट्रार, सहकारीविभाग या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के मांगने पर उसको पोता (शेष धन) उपस्थित करना होगा।

व्यवस्थापक (मैनेजर)

45. आवश्यकतानुसार प्रबन्धकारिणी समिति व्यवस्थापक नियुक्त कर सकती है। उसके अधिकार व कर्तव्य वही होंगे जो कि कार्य–समिति समय–समय पर निर्धारित करे। इसके लिए स0 रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

हिसाब के रजिस्टर

46. समिति में निम्नलिखित रजिस्टर रक्खे जावेंगे।
   1. कार्य विवरण रजिस्टर, जिसमें कार्यकारिणी और साधारण सभा का कार्य विवरण लिखा जायेगा।
   2. सदस्य रजिस्टर,
   3. रोकड़ बही,
   4. खाता बही,
   5. माल बही,
   6. प्रतिज्ञा–पत्र रजिस्टर,
   7. पास बुक,
   8. हिस्सा रजिस्टर
   9. अन्य रजिस्टर जो कि रजिस्ट्रार सहकारी विभाग समय–समय पर रखने का आदेश दे।

लाभ वितरण

[illegible] सुरक्षित कोष में व एक प्रतिशत सहकारी शिक्षा [illegible] अधिक से अधिक साढ़े सात प्रतिशत लाभांश उन हिस्सों पर [illegible] तक समिति में जमा रहे हो दिया जायेगा। जो हिस्से 6 माह से

2 30

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : फा.15(1)सविरा/नियम/87/पार्ट–3 दिनांक : 17/6/20

संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक,
सहकारी समितियाँ,
समस्त

विषय : हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समितियों के उपनियमों में संशोधन ।

[redacted]

महोदय,

विषयान्तर्गत हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समितियों के वर्तमान उपनियमों के अन्तर्गत राज्य की समस्त हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समितियों में सक्रिय सदस्यता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उक्त समितियों के उपनियम संख्या 10 में निम्नांकित संशोधन किया जाना उचित एवं आवश्यक समझा गया है । इस क्रम में आप अपने क्षेत्र की हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समितियों के उपनियमों में प्रस्तावित उपनियम क्रमांक 10 में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अन्तर्गत वर्तमान प्रावधानों के स्थान पर निम्नानुसार उपनियम संशोधन संस्था को प्रस्तावित करते हुए संशोधन की आवश्यक कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें:–

उपनियम संख्या	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
10	किसी व्यक्ति को उस समय तक सदस्यता के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जब तक कि उसने सदस्य रजिस्टर पर हस्ताक्षर न कर दिये हों, प्रवेश शुल्क जमा न करा दिया जो और कय हिस्से की पहली खन्दी जमा न करा दी हो।	**सदस्यता संबंधी अधिकार** (अ) किसी व्यक्ति को उस समय तक सदस्यता के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जब तक कि उसने सदस्य रजिस्टर पर हस्ताक्षर न कर दिये हों, प्रवेश शुल्क जमा न करा दिया जो और कय हिस्से की पहली खन्दी जमा न करा दी हो। (ब) संस्था के किसी सदस्य द्वारा अपने सदस्यता संबंधी अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि उसने संस्था की सेवाओं का न्यूनतम उपयोग करने के संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित मानदण्डों, यदि कोई हों, के अनुसार आवश्यक पात्रता अर्जित नहीं कर ली हो।

(मुकेश शर्मा)
रजिस्ट्रार

दिनांक :

क्रमांक : फा.15(1)(1)सविरा/नियम/87/पार्ट–2

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा. सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ लि0, जयपुर ।
3. संयुक्त पंजीयक (उद्योग), प्रधान कार्यालय, जयपुर ।
4. गार्ड पत्रावली ।

उप रजिस्ट्रार (नियम)

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: फा. 15(14)सविरा/नियम/89 पार्ट–3 दिनांक 24/4/2014

उप/सहायक
सहकारी समितियॉ,
.....इकाई

विषय : हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समितियों के आदर्श उपनियम।

उपरोक्त विषयान्तर्गत 97वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया जाकर दिनांक 24 अप्रेल,2013 को अधिसूचित किया जा चुका है। अधिनियम में किये गये संशोधनों के आलोक में राज्य की हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समितियों के आदर्श उपनियमों में यथास्थान संशोधन अंतरित किये जाकर आदर्श उपनियम की एक प्रति संलग्न कर लेख है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सभी संबंधित हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समितियों के उपनियमों को उक्तानुसार संशोधित कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(अनुराग भारद्वाज)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त/सयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां खण्ड (समस्त)
5. सयुक्त पंजीयक (उद्योग), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
6. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि0, जयपुर।
7. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड पत्रावली।

उप रजिस्ट्रार (नियम)

उपनियम संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	टिप्पणी
24.	साधारण सभा की बैठक आवश्यकता अनुसार होगी व निम्नलिखित प्रकार से आवश्यकतानुसार बुलाई जा सकेगी। वर्ष में एक बार वार्षिक हिसाब बन्द होने के तीन माह के अन्दर एक बैठक अवश्य बुलाई जायेगी वह सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा	**प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः मास की कालावधि के भीतर भीतर** अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत वार्षिक साधारण सभा की बैठक बुलाया जाना आवश्यक होगा।	97वें संशोधन के आलोक में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 25 में किये गये संशोधन के अनुसार ।
34(8)	कोई प्रावधान नहीं	नया जोड़ा गया। **(i) सोसाइटी की लेखाओं की लेखा परीक्षा हेतु अधिनियम की धारा 54(4) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल मे से लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म की नियुक्ति करना।** **(ii) सोसाइटी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुपालना रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार और उसकी सम्बद्ध सोसाइटी को भेजने से पूर्व उस पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना।**	97वें संशोधन के आलोक में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 54 में किये गये संशोधन के अनुसार ।
35	~~संचालक मण्डल~~ का गठन : 1. ~~संचालक मण्डल~~ में 11 ~~निर्वाचित~~ सदस्य होंगे। 2. ~~एक~~–एक मनोनीत ~~प्रतिनिधि~~ रजिस्ट्रार एवं ~~उद्योग~~ विभाग का होगा। 3. ~~निर्वाचित~~ संचालक ~~मण्डल~~ का कार्यकाल 5 ~~वर्ष~~ का होगा।	संचालक मण्डल का गठन : 1. **संचालक मण्डल में 12 निर्वाचित सदस्य होंगे। संस्था में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला सदस्य होने की स्थिति में उक्त 12 में से क्रमशः एक–एक पद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु एवं दो पद महिलाओं हेतु आरक्षित होंगे।** 2. एक–एक मनोनीत प्रतिनिधि रजिस्ट्रार एवं उद्योग विभाग का होगा। 3. निर्वाचित संचालक मण्डल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।	**97वें संशोधन के आलोक में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 27एवं 34 में किये गये संशोधन के अनुसार ।**

4. संचालक मण्डल का चुनाव राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 34 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा कराया जावेगा।

5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी संचालक मण्डल के पदाधिकारियों के निर्वाचनों के संचालन हेतु विद्यमान संचालक मण्डल की अवधि की समाप्ति के छःमाह पूर्व लिखित सूचना राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, संघ के संचालक मण्डल में किसी आकस्मिक रिक्ति के बारे में, ऐसी रिक्ति होने के तुरन्त पश्चात् लिखित सूचना भी भेजेगा।

6. संचालक मण्डल के प्रत्येक चुने गये सदस्य के आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति अधिनियम की धारा 27(4) के प्रावधानानुसार की जावेगी। जिसके अनुसार समिति रिक्त पदों को नामनिर्देशन द्वारा भर सकेगी, यदि समिति की अवधि इसकी मूल पदावधी के आधे से कम है। किन्तु यदि मूल पदावधी आधे से अधिक है तो ऐसी रिक्ति निर्वाचन, नाम निर्देशन या यथास्थिति सहयोजन द्वारा भरी जावेगी और ये सदस्य शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

42 (3)	कोई प्रावधान नहीं	नया जोड़ा गया। वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के आक्षेपों की अनुपालना रिपोर्ट तैयार कर साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना तथा अनुपालना रिपोर्ट की प्रति रजिस्ट्रार और उसकी संबद्ध सोसाइटीयों को भेजना।	
55	कोई प्रावधान नहीं	नया जोड़ा गया। संस्था, प्रत्येक वितीय वर्ष की समाप्ति के छःमाह के भीतर–भीतर, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणियां फाइल करेगी, अर्थातः– (क) अपनी कियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट (ख) अपने लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण (ग) अधिशेष के व्ययन के लिये योजना, जो संघ के साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित हो (घ) संघ की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हो, की सूची (ड़) अपने साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हों, संचालन करने के बारे मे घोषणा और (च) ऐसी अन्य सूचना, जिसकी रजिस्ट्रार समय–समय पर अपेक्षा करे।	97वें संशोधन के आलोक में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 122–क में किये गये संशोधन के अनुसार ।